"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 — आषाढ़ 12, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 12, 1940)

क्रमांक-6821/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018), जो मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018

विषय सूची

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 7 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018

विशिष्ट पहचान स्थापित करने के यथा प्रमाण आधार संख्या का उपयोग करने के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को, सुशासन के रूप में ऐसी सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिसके लिये व्यय राज्य के संचित निधि या राज्य शासन के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि से उपगत किया जाना है, के दक्ष, पारदर्शी एवं लक्षित परिदान के लिये तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकिओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसे शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, उस प्रावधान के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा.

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"आधार संख्या"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या;

(ख) **"राज्य शासन का अभिकरण"** से अभिप्रेत है किसी केन्द्रीय अथवा राज्य विधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय सहित स्थानीय निकाय और कोई अन्य निकाय, जो राज्य शासन के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हो और इसमें ऐसे निकाय सम्मिलित है, जिनकी संरचना और प्रशासन, मुख्य रूप से राज्य शासन के नियंत्रण में हो;

(ग) **"अधिप्रमाणन"** से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना सहित आधार संख्या, केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार, उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या कमी का सत्यापन करता है;

(घ) **"प्रसुविधा"** से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में दिया गया कोई लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष या संदाय और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं सम्मिलित है, जो कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं;

(ङ) **"बायोमैट्रिक सूचना"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का फोटो, अंगुली छाप, आइरिस स्कैन या ऐसे अन्य जैविक प्रतीक, जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(च) **"केन्द्रीय अधिनियम"** से अभिप्रेत है आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2016);

(छ) **"केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार"** से अभिप्रेत है एक या अधिक अवस्थानों में ऐसा केन्द्रीयकृत आंकड़ा, जिसमें ऐसे व्यक्तियों की तत्संबंधी जनसांख्यिकी सूचना और बायोमैट्रिक सूचना के साथ-साथ आधार संख्या धारकों को जारी सभी आधार संख्यांक तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अंतर्विष्ट है;

(ज) **"राज्य की संचित निधि"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि;

(झ) **"जनसांख्यिकीय"** से सम्मिलित है केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम, जन्म की तारीख, पता से संबंधित जानकारी और अन्य सुसंगत जानकारी, किन्तु इसमें मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, जातियता, भाषा, स्वामित्व का अभिलेख, आय या चिकित्सा इतिहास सम्मिलित नहीं होंगे;

(ञ) **"नामांकन"** से अभिप्रेत है केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुसार व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन के लिए नामांकन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया;

(ट) **"शासन"** या **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ठ) **"विहित"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ड) **"सेवा"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपलब्ध कोई व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जाये;

(ढ) **"सहायिकी"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में, किसी भी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग, जिसमें ऐसी अन्य सहायिकियां सम्मिलित है, जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये.

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है किन्तु ऊपर इसमें परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो केन्द्रीय अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं.

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक आधार संख्या का प्रमाण.

3. यथास्थिति राज्य शासन या राज्य शासन का कोई अभिकरण किसी ऐसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा प्राप्त करने के लिए, जिसका व्यय राज्य की संचित निधि या राज्य शासन के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि से आहरण के माध्यम से उपगत किया जाता है या उससे प्राप्ति, उसका भाग है, शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का अभिप्रमाणन कराया जाये या आधार संख्या धारण करने का प्रमाण दिया जाये या ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, वहां ऐसा व्यक्ति, नामांकन के लिए आवेदन करे :

परंतु यह कि किसी व्यक्ति को ऐसे समय तक आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रस्थापित किया जाना चाहिये.

राज्य शासन द्वारा योजनाओं को अधिसूचित करना.

4. राज्य शासन, समय-समय पर, ऐसी योजनाओं, सहायिकियों, लाभों या सेवाओं की सूची को अधिसूचित कर सकेगा, जिसके लिये धारा 3 के अनुसार ऐसा अधिप्रमाणन या प्रमाण अपेक्षित हो.

केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय-3 और अध्याय-6 का लागू होना.

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय-3 (अभिप्रमाणन) और अध्याय-6 (सूचना का संरक्षण) के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणीकरण हेतु लागू होंगे.

6. इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में.

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना, न कि उसके अल्पीकरण में.

7. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने के आशयित किसी कार्य के लिए राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

8. (1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंधित किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

(क) विभिन्न सहायकियां, प्रसुविधाएं, सेवाएं और अन्य प्रयोजन, जिनके लिए आधार संख्या प्रयुक्त की जा सकती है, प्रदान करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से आधार संख्या के उपयोग की रीति विनिर्दिष्ट करने के लिये;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसे विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट की जाये या जिसके संबंध में प्रावधान, नियमों द्वारा किया जाना हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा.

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य शासन, अवसर के अनुसार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर, रखा जाएगा.

उद्देश्य एवं कारणों के कथन

यत:, विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, वेतनों और अन्य सामाजिक लाभ संबंधी योजनाओं, जिसका वित्त पोषण छत्तीसगढ़ राज्य के संचित निधि या राज्य शासन के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि से किया जाना है, के परिदान के लिये लक्षित हितग्राहियों की सही रीति में पहचान, इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है;

और यत: कार्यक्रम के इस प्रकार उचित लक्ष्यीकरण से, व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों जैसे महिला, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों, विस्थापितों, अकुशल एवं असंगठित कामगारों एवं लुप्तप्राय आदिवासियों के लिए, अधिकतम लाभ हेतु सुविधा होगी. हितग्राहियों की पहचान को प्रमाणित करने की एक विश्वसनीय प्रणाली, आगे यह सुनिश्चित करेगा कि सहायिकियों, प्रसुविधाओं एवं सेवाओं को आशयित हितग्राहियों तक पहुचायें;

और यत: ऐसा विश्वसनीय प्रणाली, कल्याणकारी योजना डेटाबेस में वर्णित आधार विवरण को ऐसी सुरक्षित रीति में सत्यापित करेगा जिससे उसकी निजता और डेटा की गोपनीयता बनी रहे;

और यत:, भारत शासन ने विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, वेतनों और अन्य सामाजिक्र लाभ संबंधी योजनाओं, जिसका वित्त पोषण भारत के संचित निधि से किया जाना है, के परिदान के लिये आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकिओं, प्रसुविधाओं एवं सेवाओं के लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है. उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा 57 के अनुसार, कानून की सीमा में, आधार संख्या का उपयोग करने से राज्य शासन को वंचित नहीं किया गया है. तद्नुसार, विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, वेतनों एवं अन्य सामाजिक लाभ संबंधी योजनाओं, जिसका वित्त पोषण छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से किया जाना है, के परिदान के लिए आधार पहचान के उपयोग की संबद्धता हेतु राज्य का, स्वयं का अधिनियम बनाना, आवश्यक हो गया है.

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इस विधेयक को लाया जा रहा है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 25 जून, 2018

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकिओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018 के खण्ड 8 में नियम बनाने की शक्ति के प्रत्यायोजन की संस्थापनाएं हैं, जो सामान्य स्वरूप की हैं.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.